राजस्थान विश्वविद्यालय,जयपुर

जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर 302004

दूरभाष 0141-2256602 Email: gaduorjaipur @gmail.com

विधानसभा / अति–आवश्यक

क्रमांकः वि.स.प्र. / 2024 /

दिनांक

कार्यालय– आदेश

संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांक प. 18 (1) शिक्षा–4 / 2024 / वि.स. जयपुर, दिनांक 15.07.2024 के क्रम में लेख है कि 16वीं विधानसभा का द्वितीय सत्र (बजट सत्र) दिनांक 03.07.2024 से प्रारम्भ हो चुका है। विश्वविद्यालय के सभी निदेशकों / प्राचार्यों / विभागाध्यक्षों / इकाई प्रभारियों / शिक्षकों / अशैक्षणिक कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 19 व 20 जुलाई, 2024 (दो दिवस) को उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित बजट प्रस्तावों / कटौती प्रस्तावों एवं अन्य प्रकरणों पर चर्चा की जायेगी। इस हेतु इन दिवसों में कटौती प्रस्ताव प्राप्त होगें एवं इनके जवाब उसी दिन तैयार कर माननीय मंत्री महोदय को भिजवाया जायेगा।

अतः सभी निदेशकों / प्राचार्यों / विभागाध्यक्षों / इकाई प्रभारियों / शिक्षकों / अशैक्षणिक कर्मचारियों एवं नियंत्रक अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 19 व 20 जुलाई, 2024 को सदन की कार्यवाही चलने तक कार्यालय खुला रखना व आपके अधीन कार्यरत अधिकारी / कर्मचारीगण का कार्यालय में उपस्थित रहना सुनिश्चित करें तथा विश्वविद्यालय में स्थापित विधानसभा प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी से निरन्तर सम्पर्क / संवाद बनाये रखे।

साथ ही विधानसभा से सम्बन्धित अब तक आपको भेजे गये सभी प्रश्नों, ध्यानाकर्षण / विशेष उल्लेख प्रस्तावों के उत्तर तथा वार्षिक प्रतिवेदन व चाही गई बेसिक सूचनायें यदि अभी तक नहीं भिजवाई गई हैं तो उनकी समीक्षा करें व आज सायंकाल तक आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें।

नियंत्रक अधिकारीगण द्वारा इस अवधि में किसी भी प्रकार की लापरवाही / शिथिलता नहीं बरती जावे। इस दौरान चाही गयी वांछित सूचनाऐं पूर्ण विवरण, दस्तावेज सहित बिना देरी किये उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।

(अवधेश सिंह)
कुलसचिव

क्रमांकः– वि.स.प्र. / 2024 / 15522-600

दिनांकः 16/07/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप –4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक / विभागाध्यक्ष / प्रभारी अधिकारी / समस्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक इकाईयाँ, रा.वि.वि.,जयपुर।
3. प्राचार्य, महाराजा / महारानी / वाणिज्य / राजस्थान / विधि महाविद्यालय (प्रातः एवं सायं), रा.वि.वि.,जयपुर
4. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, रा.वि.वि., जयपुर को पत्र प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।
5. वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार / परीक्षा नियंत्रक, रा.वि.वि., जयपुर।
6. मुख्य आवासाधिकारी / आवासाधिकारी / मुख्य कुलानुशासक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण / विश्वविद्यालय अभियंता, रा.वि.वि.,जयपुर।
8. जनसम्पर्क अधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
9. समस्त चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
10. निजी सचिव, कुलपति / कुलसचिव, समस्त उप–कुलसचिव / सहायक कुलसचिव / अनुभागाधिकारी, रा.वि.वि.,जयपुर।
11. प्रभारी अधिकारी, विश्वविद्यालय उद्यान कार्यालय / विश्वविद्यालय प्रेस, रा.वि.वि ,जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

Shruti

(श्रुति शेखावत)
नोडल अधिकारी,
विधानसभा प्रकोष्ठ